भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 857

23.07.2021 को उत्तर के लिए

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधाएं

857. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन सुविधाएं कोविड-19 बीडब्ल्यूएम ऐप पर सक्रिय रूप से अपने दैनिक अपडेट को रिपोर्ट कर रही है, जिसे कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को कम न बताया जाना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में टीकाकरण अभियान के आगे बढ़ने को ध्यान में रखते हुए सरकार का जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की संख्या में विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) कोविड-19 बीएमडब्ल्यू ऐप के माध्यम से कोविड-19 जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) के उत्सर्जन की निगरानी कर रहा है। पूरे देश में 202 चालू सामान्य जैव चिकित्सीय अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीबीडब्ल्यूटीएफ) में से 195 सीबीडब्ल्यूटीएफ अपने डेटा की जानकारी ऐप पर दे रही है। जून-2020 से जून-2021 तक ऐप पर कोविड-19 बीएमडब्ल्यू उत्सर्जन के लगभग 56898.14 टन की जानकारी दी गई है। सीपीसीबी ने सीबीडब्ल्यूटीएफ कोविड-19 बीएमडब्ल्यू ऐप पर डेटा की रिपोर्ट करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :

- जुलाई, 2020 में कोविड-19 बीएमडब्ल्यू ट्रेकिंग ऐप का उपयोग नहीं करने वाले 106 सीबीडब्ल्यूटीएफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;
- सितम्बर, 2020 में 33 सीबीडब्ल्यूटीएफ को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क को जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था।
- उपर्युक्त उल्लिखित 33 सीबीडब्ल्यूटीएफ में से, 28 सीबीडब्ल्यूटीएफ ने ऐप पर डेटा की जानकारी देना शुरू कर दिया है, जबकि दो (2) सीबीडब्ल्यूटीएफ ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करवाया है। अन्य दो (2) सीबीडब्ल्यूटीएफ ने आंशिक रूप से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करवाया है और शेष उल्लंघनकर्ताओं के लिए सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत कार्यवाही आरंभ की है;

- दिनांक 15.04.2021 के ईमेल में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) से (i) स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं और सीबीडब्ल्यूटीएफ द्वारा ट्रेकिंग ऐप का दैनिक उपयोग सुनिश्चित करने और (ii) ऐप अथवा ई-मेल के माध्यम से कोविड-19 बीएमडब्ल्यू से संबंधित दैनिक डेटा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) तथा (घ) 'कोविड-19 रोगियों के उपचार/निदान/क्वारंटाइन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के हथालन, उपचार और निस्तारण के लिए सीपीसीबी के दिशानिर्देश संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के परामर्श से कोविड-19 के उपचार से उत्पन्न बीएमडब्ल्यू की वृद्धिशील मात्रा के उपचार और निपटान हेतु सीबीडब्ल्यूटीएफ (घंटों के संदर्भ में) के विस्तारित संचालन के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, ये दिशानिर्देश यह भी निर्धारित करते हैं कि पीले रंग में चिन्हित (जलाने योग्य) कोविड-19 अपशिष्ट (मौजूदा सीबीडब्ल्यूटीएफएस और कैप्टिव बीएमडब्ल्यू इंसीनरेटर की क्षमता से अधिक) के उत्पादन में वृद्धि के मामले में, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी ऐसे बीएमडब्ल्यू के परिसंकटमय अपशिष्ट भष्मकों के माध्यम से मौजूदा उपचार, भंडारण और निपटान संयंत्रों अथवा संग्रहित औद्योगिक भस्मक में निपटान की अनुमति दे सकते हैं, जो कोविड-19 बीएमडब्ल्यू के हथालन और अपशिष्ट निपटान की अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सीपीसीबी ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष ओ.ए.710/2017 के संबंध में निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटीएस) में भी सीबीडब्ल्यूटीएफ की स्थापना की अनुशंसा की है :

- राज्य - अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा
- संघ शासित क्षेत्र - अंडमान और निकोबार द्वीप/समूह तथा लक्षद्वीप

****